फारम–127

" कृपया देखें पारा्ग्राफ – 88"

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16 (1ली अप्रील 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक 10-3-15 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) समाहरणालय सभाकक्ष में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती निम्नांकित शर्त्तो के अधीन होगी और इन सभी शर्त्तो से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लौटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्त्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लौटरी द्वारा बंदोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लौटरी द्वारा निकाला जाएगा। लौटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्त नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लौटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लौटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लौटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने से निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्त्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्त्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्त्ता के कार्यालय/विभाग के बेवसाईट **www.excise-bihar.gov.in** पर देखी जा सकती है।

6.(क) लॉटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015–16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान–प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय–पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेंटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, वशर्त्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग–अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लौटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकान्नें के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही मिम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रू0 5000.00 (पॉच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रू0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रू0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा –

(क). अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,

(ख). वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग). आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इंनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रू0 5000.00 (पॉच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रू0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रू0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा –

(क). अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,

(ख). वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग). आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इंनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास–अवधि का सजायफ्ता नहीं हैं ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन–जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण–पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पॉच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते है, उसके लिए अलग–अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिकी अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्त्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ–पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोवस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिकी अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिकी अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोवस्ती सर्वप्रथम 'वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14 (क) बंदोवस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में बंदोवस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या–2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग). खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ–साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवॉ भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहां बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ–साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16 (क). कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबावदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्त्ता को आवेदन देंगे। समाहर्त्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्त्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्त्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश–द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहदी में स्थित भूमि–भवन/खाली स्थानों का **Still Photograph,** जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/ सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख). बंदोवस्ती के सफल लौटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (**PAN**) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में बिलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्त्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रील में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" विकी की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ.) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरबाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा –

(i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
(ii). अनुज्ञाधारी का नाम
(iii). दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम
(iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस–पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोवस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय–समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय–समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशो एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त्त अनुज्ञप्ति की शर्त्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

समाहर्त्ता

समाहरणालय का नामः– ....

दिनांकः– ....

समाहरणालय, कटिहार

(उत्पाद प्रशाखा)

ज्ञापांक 256....... /30, दिनांक 21-2-2015

प्रतिलिपि :– आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक, उत्पाद/पुलिस अधीक्षक, कटिहार/उप–विकास आयुक्त, कटिहार/अपर समाहर्ता, कटिहार/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार/सभी अंचल पदाधिकारी, कटिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, कटिहार/प्रभारी वरीय उप–समाहर्ता जिला गोपनीय प्रशाखा, कटिहार/मेयर नगर निगम कटिहार/मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, मनिहारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार/निरीक्षक उत्पाद/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद, कटिहार को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ हेतु प्रेषित।

इच्छुक उम्मीदवार प्रत्येक समुह के लिए अलग–अलग अपना फोटोयुक्त आवेदन पत्र/वांछित कागजातों एवं दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि सहित अधीक्षक उत्पाद, कटिहार के कार्यालय में दिनांक 04.03.2015 तक 10:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराहन तक जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी अधीक्षक उत्पाद, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

समाहर्त्ता,
कटिहार।

समाहरणालय, कटिहार

उत्पाद प्रशाखा

कटिहार जिला की वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों की सूची :–

समूह संख्या	दुकान का नाम एवं अवस्थिति	मासिक कोटा			मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	आवेदन शुल्क रू0 में
		दे0श0 / म0दे0श0 (L.P.L.)	वि0श0 (L.P.L.)	बीयर (B.L.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 01 वार्ड नं0– 1, 2, 6	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) कम्पाजित नं0– 38 (पवई, मकदुमपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**568950.00**	**7000.00**
2	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 02 वार्ड नं0– 4, 5, 7, 8	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) कम्पाजित नं0– 37 (फूलवरिया, रामपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**568950.00**	**7000.00**
3	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 03 वार्ड नं0– 9, 10	4624.00	-	-	416160.00	5000.00
	(2) कम्पाजित नं0– 29 (चॉदपुर प0, चॉदपुर पू0)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**648210.00**	**7000.00**
4	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 04 वार्ड नं0– 11, 12	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) क0न0नि0दे0श0नं0– 13 वार्ड नं0– 29, 30, 31, 32, 33	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(3) कम्पाजित नं0– 40 (दिघरी, रौतारा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**928950.00**	**12000.00**
5	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 05 वार्ड नं0– 13, 14, 15, 16	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) प्र0दे0श0नं0– 11 (प्रखड– फलका)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	(3) कम्पोजित नं0– 28 (छोहार, डुमर, मलहरिया)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**821850.00**	**10000.00**
6	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 07 वार्ड नं0– 17	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) क0न0नि0दे0श0नं0– 09 वार्ड नं0– 20, 21	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(3) क0न0नि0दे0श0नं0– 16 वार्ड नं0– 39, 40, 41, 42	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	योग				**1080000.00**	**15000.00**
7	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 06 वार्ड नं0– 03	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	योग				**360000.00**	**5000.00**
8	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 08 वार्ड नं0– 18, 19	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) प्र0दे0श0नं0– 06 (प्रखड– हसनगज)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00

	योग				**612900.00**	**8000.00**
9	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 12 वार्ड नं0– 27, 28, 23, 25	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 08 (प0 दलन, भवाड़ा, रामपुर, कटिहार)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 14 (मरंगी, पू0 सिरनियॉ, धुरियाही)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**777900.00**	**9000.00**
10	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 10 वार्ड नं0– 22, 23	4624.00	-	-	416160.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 26 (कालसर, देउड़ा)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**648210.00**	**7000.00**
11	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 11 वार्ड नं0– 24, 26	4624.00	-	-	416160.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 07 (काबर,बैदा,गोविन्दपुर,मोहना चांदपुर)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**648210.00**	**7000.00**
12	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 14 वार्ड नं0– 34, 35, 36	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(2) क0न0नि0दे0श0नं0– 17 वार्ड नं0– 43, 44, 45	4000.00	-	-	360000.00	5000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 70 (बस्तौल, धरहन, पथरवार)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**928950.00**	**12000.00**
13	(1) क0न0नि0दे0श0नं0– 15 वार्ड नं0– 37, 38	4624.50	-	-	416205.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 12 (द0 मुरादपुर, पू0 मुरादपुर, जरलाही)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**648255.00**	**7000.00**
14	(1) प्र0दे0श0नं0– 03 (प्रखंड– कुर्सेला)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	(2) प्र0दे0श0नं0– 01 (प्रखंड– बरारी)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 01 (लक्ष्मीपुर, पू0बारीनगर, प0बारीनगर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**714750.00**	**8000.00**
15	(1) प्र0वि0श0नं0– 03 (प्रखंड– कुर्सेला)	-	1255.00	1150.00	199750.00	3000.00
	(2) प्र0वि0श0नं0– 01 (प्रखंड– बरारी)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 11 (उ0मुरादपुर, शाहपुर, धर्मी)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**573950.00**	**8000.00**
16	(1) कम्पोजिट नं0– 41 (राजबाड़ा, बावनगंज)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**208950.00**	**2000.00**
17	(1) म0न0पं0दे0श0नं0– 01 वार्ड नं0– 1, 2, 3, 4	1200.00	-	-	108000.00	3000.00
	(2) म0न0पं0दे0श0नं0– 02 वार्ड नं0– 5, 6, 7, 8	1200.00	-	-	108000.00	3000.00

	[illegible]) कम्पोजिट नं0– 58 (नवाबगंज, बाघमारा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**424950.00**	**8000.00**
18	(1) प्र0[illegible]श0नं0– 04 (प्रखंड– मनसाही)	1400.00	-	-	126000.00	3000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 10 (प0 सिरनियाँ, फतेहनगर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 13 (साहेबनगर, भेड़मारा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**543900.00**	**7000.00**
19	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 01 वार्ड नं0– 1, 2, 3, 4	-	1675.00	3587.00	287120.00	5000.00
	(2) म0न0पं0वि0श0नं0– 01	-	900.75	1413.00	149242.50	3000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 04 (बकिया, सुखाय, विशनपुर, षिषिया)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**668412.50**	**10000.00**
20	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 02 वार्ड नं0– 5, 6, 7	-	1675.00	3587.00	287120.00	5000.00
	(2) म0न0पं0वि0श0नं0– 02	-	9[illegible].75	1413.00	149242.50	3000.00
	(3) प्र0वि0श0नं0– 02 (प्रखंड–कटिहार, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**601612.50**	**11000.00**
21	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 03 वार्ड नं0– 8, 9, 10, 11	-	1675.00	3587.00	287120.00	5000.00
	(2) म0न0पं0वि0श0नं0– 03	-	900.75	1413.00	149242.50	3000.00
	योग				**436362.50**	**8000.00**
22	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 04 वार्ड नं0– 12, 13, 14, 15	-	1675.00	3587.00	287120.00	5000.00
	(2) म0न0पं0वि0श0नं0– 04	-	900.75	1413.00	149242.50	3000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 03 (सुजापुर, रौनियाँ, कान्तनगर)	1330.00	5[illegible]00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**645312.50**	**10000.00**
23	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 05 वार्ड नं0– 16, 17, 18, 19, 20	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) प्र0वि0श0नं0– 04 (प्रखंड– मनसाही)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**479000.00**	**8000.00**
24	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 06 वार्ड नं0– 21, 22, 23, 24	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) प्र0वि0श0नं0– 10 (प्रखंड– डंडखोरा)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**479000.00**	**8000.00**
25	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 07 वार्ड नं0–27, 28, 29	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	योग				**313750.00**	**5000.00**
26	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 08 वार्ड नं0– 30	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00

	योग				**313750.00**	**5000.00**
27	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 09 वार्ड नं0– 25, 26	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 57 (नारायणपुर, बौलिया)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**545800.00**	**7000.00**
28	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 10 वार्ड नं0– 31	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 71 (सहजा, केहुनियाँ, काठघर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**522700.00**	**7000.00**
29	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 11 वार्ड नं0– 31	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 60 (बघार, द0 काटांकोश)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**545800.00**	**7000.00**
30	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 12 वार्ड नं0– 32, 33	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) म0न0पं0दे0श0नं0– 03 वार्ड नं0– 09, 10, 11, 12	1200.00	-	-	108000.00	3000.00
	(3) म0न0पं0दे0श0नं0– 04 वार्ड नं0– 13, 14, 15	1200.00	-	-	108000.00	3000.00
	योग				**529750.00**	**11000.00**
31	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 13 वार्ड नं0– 34, 35	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 59 (कम्बाला, नीमा, उ0 काटांकोश)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**522700.00**	**7000.00**
32	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 14 वार्ड नं0– 30, 31	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	योग				**313750.00**	**5000.00**
33	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 15 वार्ड नं0– 39, 40, 41, 42	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) प्र0वि0श0नं0– 13 (प्रखंड– प्राणपुर)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**479000.00**	**8000.00**
34	(1) क0न0नि0वि0श0नं0– 16 वार्ड नं0– 30, 31	-	1825.00	4000.00	313750.00	5000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 66 (बैरिया, किशनपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**522700.00**	**7000.00**
35	(1) प्र0वि0श0नं0– 11 (प्रखंड– फलका)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 61 (पीरमोकाम, रहटा, सोहथा उ0)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 64 (सलेमपुर, भंगहा, पोठिया, शब्दा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**583150.00**	**7000.00**
36	(1) कम्पोजिट नं0– 02 (गुरमेला, द0 भंडारतल, उ0 भंडारतल)	1000.00	550.00	675.00	179250.00	2000.00

	कम्पोजिट नं0– 30 (खैरा, चकला, मौलानापुर, मुरादपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**388200.00**	**4000.00**
37	(1) कम्पोजिट नं0– 36 (सदलपुर, उ0 सिमरिया, द0 सिमरिया, मधुरा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 05 (जगदीशपुर, सिक्कट, बरेटा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**417900.00**	**4000.00**
38	(1) प्र0वि0श0नं0– 09 (प्रखंड– कोढा)	-	1255.00	1150.00	199750.00	3000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 62 (मोरसंडा, मघेली, हथवारा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 42 (विषहरिया, महिनाथपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**617650.00**	**7000.00**
39	(1) कम्पोजिट नं0– 09 (बरझल्ला, कुरेठा)	1420.00	550.00	675.00	217050.00	2000.00
	योग				**217050.00**	**2000.00**
40	(1) कम्पोजिट नं0– 69 (खैरिया, विशुनपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 39 (चदवा, बहरखाल, विनोदपुर)	1000.00	550.00	675.00	179250.00	2000.00
	योग				**388200.00**	**4000.00**
41	(1) कम्पोजिट नं0– 65 (जंगलाटाल, लखनपुर, बैदा)	1420.00	550.00	675.00	217050.00	2000.00
	योग				**217050.00**	**2000.00**
42	(1) प्र0दे0श0नं0– 07 (प्रखंड– समेली)	1400.00	-	-	126000.00	3000.00
	योग				**126000.00**	**3000.00**
43	(1) प्र0दे0श0नं0– 09 (प्रखंड– कोढा)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 06 (सकरैली, दुर्गापुर, सुखासन)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 35 (मुसापुर, बासगढ़ा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**670800.00**	**7000.00**
44	(1) कम्पोजिट नं0– 68 (पारदियरा, अमदाबाद, दुर्गापुर, भवानीपुर खट्टी, चौकिया पहाड़पुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) प्र0वि0श0नं0– 12 (प्रखंड– अमदाबाद)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**374200.00**	**5000.00**
45	(1) कम्पोजिट नं0– 16 (अरिहाना, हरनागर, शीतलपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 19 (कंलाबाडी, जोकड़, देवगॉव)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 21 (निमौल, दनिर्गा, आलमपुर, महेशपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**626850.00**	**6000.00**

46	(1) कम्पोजिट नं0— 17 (बैरिया, आजमनगर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) प्र0दे0श0नं0— 05 (प्रखंड— आजमनगर)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	(3) कम्पोजिट नं0— 50 (रिजवानपुर, मगहीपुर, चन्दहर, कदमगाछी)	1000.00	650.00	675.00	194250.00	2000.00
	योग				**656100.00**	**7000.00**
47	(1) प्र0वि0श0नं0— 05 (प्रखंड— आजमनगर)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	(2) कम्पोजिट नं0— 25 (शीतलमनी)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0— 47 (सागरथ, मोहम्मदपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**583150.00**	**7000.00**
48	(1) कम्पोजिट नं0— 22 (सालमारी, पींढाल, तेघड़ा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) प्र0वि0श0नं0— 14 (प्रखंड— बारसोई)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	(3) प्र0दे0श0नं0— 14 (प्रखंड— बारसोई)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	योग				**627100.00**	**8000.00**
49	(1) कम्पोजिट नं0— 23 (मुकुरिया, गोरखपुर, निस्ता)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0— 24 (मलिकपुर, जलकी, गायघट्टा, बघेल)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(1) कम्पोजिट नं0— 77 (शिकारपुर, बांसगॉव, भवानीपुर, बेलवा, एकसल्ला)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**626850.00**	**6000.00**
50	(1) कम्पोजिट नं0— 18 (चौलहर, माखनपुर, सिंहौल)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0— 20 (खरसोता, खुरियाल, अमरसिंहपुर)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0— 33 (बिजौल, लुत्तीपुर, महियाल)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**696150.00**	**6000.00**
51	(1) कम्पोजिट नं0— 34 (साहबपुर, फतेहपुर, बलरामपुर)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0— 31 (लोहागढ़, शरीफगंज)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) प्र0दे0श0नं0— 15 (प्रखंड— कदवा)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	योग				**693900.00**	**7000.00**
52	(1) कम्पोजिट नं0— 45 (चौनी, धनगामा, शिकारपुर)	1000.00	650.00	675.00	194250.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0— 32 (सिंहगॉव, रामपुर, हरदरा, किरोरा, कमरा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0— 73 (सुधानी, कन्देला, पटोल, लगहरिया)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**612150.00**	**6000.00**
53	(1) कम्पोजिट नं0— 46 (घपरसिया, परभेली, गेठौरा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00

	कम्पोजिट नं0– 72 वाला, द0 लालगंज, उ0 लालगंज, डंडा, तरीपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) प्र0वि0श0नं0– 15 (प्रखंड-- कदवा)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**583150.00**	**7000.00**
54	(1) कम्पोजिट नं0– 48 (भर्री, गोपीनगर)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 49 (तैतलिया, तैयबपुर, विझाडा)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**464100.00**	**4000.00**
55	(1) कम्पोजिट नं0– 52 (जाजा, सिकोरना)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 74 (बलवा, डांगी, कर्णपुरख, बसलगॉव, बिघोरहाट)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 79 (हरनाई, धर्मपुर, नालसर, चापाखोर)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**696150.00**	**6000.00**
56	(1) कम्पोजिट नं0– 51 (शुखपुरा, भौनगर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 43 (सौरिया, भमरैली, द्वाशय)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 53 (कटिया, भोगॉव, कदवा, पहलागढ)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**626850.00**	**6000.00**
57	(1) कम्पोजिट नं0– 55 (बेनी जलालपुर, बैलोन, उनासो पचगाछी)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 75 (चॉदी, बलत्तर, मौलानापुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	(3) कम्पोजिट नं0– 76 (रघुनाथपुर, कमरौल, चॉदपुर, महेशपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**626850.00**	**6000.00**
58	(1) कम्पोजिट नं0– 78 (लगुआ, आबादपुर, शिवानन्दपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**208950.00**	**2000.00**
59	(1) प्र0वि0श0नं0– 08 (प्रखंड– बलरामपुर)	-	1324.65	1150.00	210197.50	3000.00
	(2) कम्पोजिट नं0– 54 (कुर्सेल, कदवा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**419147.50**	**5000.00**
60	(1) प्र0वि0श0नं0– 16 (प्रखंड– मनिहारी) मनिहारी नगर पंचायत क्षेत्र को छोडकर	-	1324.65	1150.00	210197.50	3000.00
	योग				**210197.50**	**3000.00**
61	(1) प्र0द0श0नं0– 10 (प्रखंड– डंडखोरा)	1400.00	-	-	126000.00	3000.00
	योग				**126000.00**	**3000.00**
62	(1) प्र0द0श0नं0– 13 (प्रखंड– प्राणपुर)	2810.00	-	-	252900.00	3000.00
	योग				**252900.00**	**3000.00**

63	(1) प्र0वि0र0न0– 07 (प्रखंड– समेली)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**165250.00**	**3000.00**
64	(1) प्र0वि0श0न0– 06 (प्रखंड– हसनगंज)	-	1025.00	1150.00	165250.00	3000.00
	योग				**165250.00**	**3000.00**
65	(1) कम्पोजिट नं0– 44 (रायपुर, महेशपुर)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**232050.00**	**2000.00**
66	(1) कम्पोजिट नं0– 56 (मनोहरपुर, कुमारीपुर)	1420.00	650.00	675.00	232050.00	2000.00
	योग				**232050.00**	**2000.00**
67	(1) कम्पोजिट नं0– 27 (रामपुर, बलवा)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**208950.00**	**2000.00**
68	(1) कम्पोजिट नं0– 67 (उ0 करिमुल्लापुर, पू0 करिमुल्लापुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**208950.00**	**2000.00**
69	(1) कम्पोजिट नं0– 15 (मोहनपुर, दिलारपुर)	1000.00	550.00	675.00	179250.00	2000.00
	योग				**179250.00**	**2000.00**
70	(1) कम्पोजिट नं0– 63 (भरसीया, सोहथा द0, गोविन्दपुर)	1330.00	550.00	675.00	208950.00	2000.00
	योग				**208950.00**	**2000.00**
	कुल योग	**210006.50**	**95112.30**	**139725.00**	**34564680.00**	**431000.00**

3/2

समाहर्त्ता
कटिहार।